कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) बोकारो के पेटरवार परिसर स्थित मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच कराने के लिए, आपको **खेत से मिट्टी का नमूना (Soil Sample) वैज्ञानिक विधि से लेना** और उसके **निर्धारित शुल्क** की पूरी जानकारी होना आवश्यक है। नीचे खेत से मिट्टी का सही सैंपल निकालने का चरणबद्ध तरीका और जांच से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विवरण विस्तार से दिए गए हैं:

1. खेत से मिट्टी का नमूना (सैंपल) लेने की सही वैज्ञानिक विधि

प्रयोगशाला की रिपोर्ट पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि आपने खेत से मिट्टी कितनी सटीकता से निकाली है। नमूना लेते समय नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

- **समय का चुनाव:** फसल कटने के बाद या नई फसल की बुआई/रोपाई से पहले नमूना लें। खेत में रासायनिक खाद, जैविक खाद या चूना डालने के तुरंत बाद सैंपल न लें।
- **खेत का विभाजन:** यदि आपके खेत की मिट्टी का रंग, ढलान या पिछली फसल का इतिहास अलग-अलग है, तो पूरे खेत को समान टुकड़ों (सब-प्लॉट्स) में बांट लें और हर हिस्से से अलग सैंपल तैयार करें।
- **चिन्हांकन (Zig-Zag Pattern):** एक एकड़ खेत में से यादृच्छिक (Random) रूप से **8 से 10 अलग-अलग स्थानों** का चयन करें। पूरे खेत में जेड (Z) या टेढ़े-मेढ़े आकार में घूमते हुए स्थानों को चुनें।
- **सतह की सफाई:** चुने गए स्थान की ऊपरी सतह से घास-फूस, पत्तियां, पुरानी फसल के अवशेष और कंकड़-पत्थर पूरी तरह हटा दें।
- **'V' आकार का गड्ढा बनाना:** खुरपी या कुदाल (Spade) की मदद से जमीन में **15 से 20 सेंटीमीटर (लगभग 6 से 8 इंच) गहरा 'V' आकार का गड्ढा** खोदें। यह गहराई सामान्य और उथली जड़ वाली फसलों (जैसे धान, गेहूं, सब्जियां) के लिए आदर्श है।
- **मिट्टी की परत निकालना:** गड्ढे की किसी भी एक खड़ी दीवार (सतह) से ऊपर से नीचे तक **2 से 3 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की एक समान परत** खुरचकर निकालें और इसे एक साफ प्लास्टिक की बाल्टी में डालें।
- **मिश्रण तैयार करना:** खेत के सभी 8-10 स्थानों से एकत्र की गई मिट्टी को बाल्टी में एक साथ अच्छी तरह मिला लें। इसमें से कंकड़, जड़ें या कचरा निकालकर फेंक दें।
- **वजन कम करने का तरीका (Quartering Method):** बाल्टी की पूरी मिट्टी को एक साफ प्लास्टिक शीट या कागज पर फैलाकर गोल आकार दें। इसे चार बराबर भागों में बांटें। आमने-सामने के दो भाग हटा दें और बचे हुए दो भागों को फिर से मिलाएं। यह प्रक्रिया तब तक दोहराएं जब तक मिट्टी का कुल वजन **लगभग 500 ग्राम (आधा किलो)** न बच जाए।
- **सुखाना और पैक करना:** इस आधे किलो मिट्टी के सैंपल को धूप में सुखाने के बजाय **छाया में अच्छी तरह सुखा लें**। इसके बाद इसे एक साफ और नए प्लास्टिक बैग या कपड़े की थैली में पैक करें।

2. नमूने पर लगाई जाने वाली पर्ची (Tagging Details)

थैली के अंदर और बाहर एक कागज पर स्पष्ट अक्षरों में बॉलपेन से निम्नलिखित विवरण लिखकर चिपकाएं:

1. किसान का नाम और पूरा पता (मोबाइल नंबर सहित)
2. खेत का खसरा नंबर / खाता नंबर या नाम
3. जमीन का प्रकार (सिंचित है या असिंचित)
4. पिछली काटी गई फसल और अगली बोई जाने वाली फसल का नाम
5. सैंपल लेने की तारीख

3. इन जगहों से मिट्टी का सैंपल कभी न लें (सावधानियां)

सटीक रिपोर्ट के लिए इन प्रतिबंधित स्थानों से मिट्टी एकत्र करने से बचें:

- खेत की मुख्य मेड़ या किनारों के बिल्कुल पास से
- खेत में मौजूद किसी पेड़ के ठीक नीचे की छायादार जमीन से
- कुएं, बोरवेल, या पानी की नाली के बिल्कुल नजदीक से
- खाद के गड्ढे, कंपोस्ट के ढेर या जहां गोबर इकट्ठा किया जाता हो
- दलदली या बहुत ज्यादा गीली मिट्टी से (बारिश के तुरंत बाद सैंपल न लें)

---

4. KVK बोकारो का मृदा परीक्षण शुल्क (Fee Structure)

भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों के तहत, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (National Soil Health Card Scheme) के अंतर्गत मिट्टी की जांच **अत्यंत रियायती दरों या पूरी तरह निशुल्क (सरकारी अभियानों के दौरान)** की जाती है।

नोट: सरकारी योजनाओं या क्लस्टर आधारित सैंपलिंग के तहत समय-समय पर चयनित गांवों के किसानों के लिए यह सेवाएं पूरी तरह मुफ्त होती हैं। वर्तमान में लागू सटीक शुल्क और रसीद काउंटर की जानकारी के लिए किसान भाई सीधे **पेटरवार कैंपस स्थित प्रशासनिक भवन** में सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं